न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 13/2017 | 11/04/2017 | 06/10/2025 |

बद्रीलाल पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा

वादी

वनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0।

**वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0**

**निर्णय**

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की भूमि खसरा सं० 605 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नं0 613 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि जरिये मिसल सं० 358 दिनाक 25.08.1965 से नीलाम की गई थी। तत्समय ही वादी को उक्त भूमि पर कब्जा संभलाया गया था। वादी उक्त भूमि पर नीलामी के समय से ही वर्तमान तक शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। कालान्तर मे दिनाक 30.04.1974 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 9 के अधीन वादी को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार (भू–धारणा) अधिकार प्रदान कर दिये गये जो कि उक्त भूमि हैक्टर में 1.20 है० होती है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बाद सेटलमेन्ट संवत 2041 ते 2060 उक्त भूमि को नवीन खसरा नम्बर 603 रकबा 43.87 है0 में मर्ज (शामिल) करते हुये चारागाह के रूप में दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी उक्त भूमि 7 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले मौके पर खसरा संख्या 603 रकबा 1.20 है0 भूमि पर वर्तमान मे शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। भू–प्रबंधन विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है कि वह उक्तानुतार राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को चारागाह के खाते में दर्ज कर देवे जबकि वादी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सक्षम माननीय न्यायालय की सहायता से खसरा संख्या 603 रकबा 1.20 है0, भूमि पर स्वयं का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाये। भू प्रबंधन विभाग द्वारा उपरोक्त वणित भूमि वादी के खाते दर्ज न कर चारागाह के खाते दर्ज कर किये जाने से वादी को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम सहित अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। वाद कारण दिनांक 16.03.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का नोटिस देने पर व वादी के हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार नहीं मानने से पैदा हुआ है। वादी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निम्न आशय की डिक्री पारित करने का निवेदन किया है कि ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा संख्या 603 रकबा 1.20 है0, भूमि (कब्जे के अनुसार) खातेदार है। प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिये

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

प्रतिनिधि वादी के कब्जे काश्त की उपरवर्णित भूमि ने वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।
वादी की ओर से वाद श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जरिये सम्मन करवायी गई। दिनांक 18.06.2025 को प्रतिवादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार पेश किया जो संक्षेप में अग्रलिखित है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सनद खातेदारी की प्रति के अनुसार ग्राम दुर्जनपुरा की साबिक खसरा नम्बर 605 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 613 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा पर दिनांक 30.04. 1974 को खातेदारी का अधिकार मिल चुके है। खातेदारी सनद में योग 7 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है। जबकि वास्तव में योग करने पर 7 बीघा 6 बिस्वा रकबा बनता है। खातेदारी सनद बद्रीलाल पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा के नाम जारी हुई है। मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति अनुसार साबिक ख.न. 605 व 613 के हाल ख.न. 603 बनते है जो वर्तमान चारागाह में दर्ज है। मोके पर प्रार्थी ने उक्त आराजी के लगभग 1.20 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त आराजी भूमि जमाबंदी 2031–34 खसरा नंबर 605/1 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा चारागाह दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल 605, 613, व 603 तथा जमाबंदी 2031–34 बद्रीलाल या उनके पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। खसरा संख्या 613 का रकबा वाद में 2 बीघा 13 बिस्वा जमाबंदी 2031–34 में 1 बीघा 2 बिस्वा है। इस प्रकार खसरा नं0 613 का रकबा वाद पत्र एवं जमाबन्दी से मेल नहीं खाता है। चारागाह भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है अतः चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। मुताबिक तहसील रिपोर्ट 30.04.1974 व वाद पत्र मुताबिक खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु आवंटन आदेश के साथ अन्य समर्थनकारी दस्तावेज संलग्न नहीं जिससे कि खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने के उपरांत सेटलमेंट तक कब्जा काश्त व लगान अदायगी इत्यादि साबित होती है। आवंटन से सेटलमेंट तक भू उपयोग संबंधी कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए है तथा मुताबिक तहसीलदार पीपल्दा रिपोर्ट सनद में तथा वास्तव में खसरों के योग में अन्तर है तथा वादी द्वारा साक्ष्यों के अभाव में वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 13 / 2017 | 11 / 04 / 2017 | 06 / 10 / 2025 |

बद्रीलाल पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राजस्थान।

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादी

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0।

**वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0**

**निर्णय**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री प्रद्युम्न एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 06.10.2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजूह सबूत | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| मेहनताना वकील | | | मेहनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | | मुत0 | | |
| मिलान | | | मिलान | | |

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)